राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप-6)विभाग

क्रमांक प. 6(6)राज-6/ 4 जयपुर, दिनांक 18/1/2008

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया है कि जिला कलक्टर द्वारा आवंटन/संपरिवर्तन व अन्य प्रकरणों में राज्य सरकार को प्रकरण भिजवाते समय उनके साथ संलग्न जमाबंदियों की प्रतियां पिछले कई वर्षो की संलग्न कर दी जाती है, जिसके कारण राज्य सरकार स्तर पर यह निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि पिछले सम्वत् की जमाबन्दी के बाद में क्या खातेदारों के नाम में परिवर्तन हुआ है या नहीं।

अतः निर्देश दिये जाते है कि जब भी प्रकरण राज्य सरकार को आवंटन/संपरिवर्तन एवं अन्य प्रकरणों में निर्णय हेतु भेजे जावें, उस समय उनके साथ चल रहे सम्वत् की जमाबंदी की प्रति भिजवाते हुए उसमें जो भी परिवर्तन हो, उसको जमाबंदी के प्रपत्र संख्या 26 के कॉलम नं. 11 से 17 में लाल स्याही से दर्शाया जाकर भिजवावें ताकि राज्य सरकार स्तर पर निर्णय लेने में कोई कठिनाई नहीं हो।

18/1/2008
(के.जी. अग्रवाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
3. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
4. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व।

शासन उप सचिव 18/1/2008